कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु शासनादेश संख्या–1078/15–7–2024–01(14)/2022 दिनांक 17 सितम्बर, 2024 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–1376/15–7–2024–01(14) 2022 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 के आलोक में ऑनलाइन प्रविधि से प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 02–12–2024 को अपलोड/प्रदर्शित कर दिया गया है।

परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति/शिकायत हो तो इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य/प्रबन्धक युक्तियुक्त कारणों/साक्ष्यों सहित सम्बन्धित विद्यालय की आई0डी0 से अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर दिनांक 06–12–2024 समय 6:00 बजे सायं तक प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में यदि किसी विद्यार्थी/अभिभावक को आपत्ति/शिकायत है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा।

(भगवती सिंह)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/421–9/दिनांकः 02.12.2024

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

4– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

5– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

7– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

8– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

(भगवती सिंह)

सचिव।